[2022] 2 एस. सी. आर 528

पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

देव ब्रात शर्मा

(2022 की सिविल अपील संख्या 2064)

16 मार्च, 2022

[**दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, न्यायाधिपतिगण**]

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870: s.7–फीस की गणना–धन वाद–प्रत्यर्थी ने स्वतंत्रता सेनानी की दारज़ा से इनकार करने के कारण हर्जाने के रूप में Rs.20 लाख की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया और Rs.50 की अदालत की फीस दी – अपीलार्थी ने अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतान न करने के आधार पर वाद की अस्वीकृति की मांग की– ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यर्थी को हर्जाने के रूप में दावा की गई .20 लाख की राशि पर न्यायालय फीस को अच्छा बनाने का निर्देश दिया–हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अधिनियम 1870 की धारा 7 कुछ वादों में फीस की संगणना के लिए उपबंध करती है–धारा 7 (i) धन वाद को संदर्भित करती है जिसमें समय–समय पर देय हर्जाने, प्रतिकर, भरण–पोषण के बकाये, वार्षिकी या अन्य राशियों के लिए वाद शामिल हैं जहां देय फीस दावा की गई राशि के अनुसार होगी–धारा 7 (iv) जिसमें छह श्रेणियां हैं जहां फीस उस राशि के अनुसार देय होगी जिस पर मांगी गई राहत का मूल्य वाद या अपील के ज्ञापन में है–धारा 7 (iv) के लिए वादी को न्यायालय फीस के भुगतान के लिए अपने दावे का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है–वर्तमान मामला मुआवजे/हर्जाने के लिए धन वाद का है और यह अधिनियम की धारा 7 (i) के अधीन आता है–अधिकारिता राहत के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन और वाद में गिरने वाली राशि के लिए वही होगा जो न्यायालय द्वारा देय होगा–धारा 7 (i) के अधीन होगा। 20 लाख–इसलिए, ऐड वालोरम मूल्य न्यायालय–शुल्क का भुगतान अनुसूची 1 प्रविष्टि 1 के अनुसार करना होगा–उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया–ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया

1. अधिनियम का अध्याय III 'अन्य न्यायालयों और सार्वजनिक कार्यालयों में शुल्क' से संबंधित है। इसकी धारा 6 में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज किसी न्यायालय में दाखिल, प्रदर्शित या अभिलिखित नहीं किया जाएगा या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज के संबंध में, उक्त अनुसूचियों में से किसी द्वारा इंगित राशि से कम की राशि का

शुल्क नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसे दस्तावेज के लिए उचित शुल्क का भुगतान किया जाता है। पहली अनुसूची में ऐड वालोरम शुल्क की गणना की गई है जबकि दूसरी अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के वादपत्रों, दस्तावेजों और अभिवचनों पर देय निश्चित न्यायालय शुल्क की तालिका दी गई है। [पैरा 18] B [537–F–G; 538–A B]

2. इसकी धारा 7 में कुछ मुकदमों में देय शुल्क की गणना का प्रावधान है। उपखंड (i) धन वाद को संदर्भित करता है जिसमें क्षति, क्षतिपूर्ति, भरण–पोषण के बकाया, वार्षिकी या समय–समय पर देय अन्य राशियों के लिए वाद शामिल हैं जहां देय शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार होगा। फिर, अन्य उप–खंड हैं जो हाथ में मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हालांकि, उपखंड (iv) जिसमें और छह श्रेणियां हैं, अर्थात् वाद (क) बिना किसी बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए; (ख) संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए; (ग) एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए; (घ) एक निषेधाज्ञा के लिए; (ङ) सुगमता के लिए; और खातों के लिए। इन श्रेणियों में आने वाले वाद पर शुल्क उस राशि के अनुसार देय होगा जिस पर मांगी गई राहत का मूल्यांकन वाद या अपील के ज्ञापन में किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है। [पैरा 19][538–बी–ई] ई

3. वाद में राहत खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मुआवजे/हर्जाने के लिए धन का मुकदमा था और अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 (iv) की प्रयोज्यता के लिए कोई प्रश्न ही नहीं होगा। यह अधिनियम की धारा 7 (i) की प्रयोज्यता का एक सरल मामला होगा और ऐड वालोरम मूल्य न्यायालय–शुल्क का भुगतान अनुसूची 1 प्रविष्टि 1 के अनुसार करना होगा। यह केवल अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है कि वादी को वाद में यह बताने की स्वतंत्रता है कि वह राशि जिस पर राहत का मूल्य है और न्यायालय–शुल्क उक्त राशि पर देय होगा। खंड (iv) के तहत छह श्रेणियों के विशिष्ट मुकदमों को दी गई स्वतंत्रता है – जो किसी अन्य खंड के अधीन आने वाले वादों के लिए उपलब्ध नहीं है, चाहे वह (i) (ii) (iii) आदि हो। एक बार जब विचाराधीन वाद अधिनियम की धारा 7 के खंड (i) के तहत आने वाले मुआवजे और हर्जाने के लिए एक धन वाद था, तो दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य न्यायालय–शुल्क देय होगा। [पैरा 20,21][539–F–H; 540–A–B]

4. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने मांगी गई राहत के लिए एक अलग मूल्यांकन नहीं दिया है, क्योंकि उसे वास्तव में जो दावा किया जा रहा था, उससे अलग मूल्यांकन देने की कोई स्वतंत्रता और अधिकार नहीं था। वास्तव में, वाद के पैरा 11 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्यांकन न्यायालय–फीस और अधिकार क्षेत्र के लिए समान है। अधिकार क्षेत्र और राहत के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन श्रेणी 7 के तहत आने वाले धन मुकदमों में समान होना चाहिए(i). यह केवल धारा 7 के खंड (iv) द्वारा कवर किए गए मुकदमों की श्रेणी में था कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों और मांगी गई राहत के लिए दो अलग–अलग मूल्यांकन हो सकते हैं। [पैरा 28,29] [543–बी–डी]

मेसर्स कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी बनाम विमला पन्नालाल (1988) 3 एससीसी 423: [1988] 1 सप्लीमेंट। SCR 431; M.P. श्रीवस्तव बनाम श्रीमती वीणा (1967) 1 एस. सी. आर. 147; शानभागकन्नु भट्टार बनाम मुथु भट्टार AIR 1971 SC 2468: [1971] 2 SCR 711; S.RM. ए. आर. एस. पी. सतप्पा चेट्टियार बनाम आर. एम. ए. आर. आरएम। रामनाथन चेट्टियार 1958 AIR 245:1958 (0) SCR 1024–आयोजित लागू नहीं।

मनप्रीत सिंह बनाम गुरमैल सिंह और अन्य (2016) 4 सिविल कोर्ट मामले 503 (पीएलएच) पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान (2005) 1 आरसीआर (सिविल) 54; रंजीत कौर बनाम पीएसईबी6 (2006) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1095; मंजीत सिंह बनाम बेअंत शर्मा 16 (सी) (2012) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 13081; हेम राज बनाम हरचेत सिंह (1993) सिविल कोर्ट मामले 48 (पी एंड एच) सुभाष चंदर गोयल बनाम हरविंद सागर (2003) एआईआर (पंजाब) 248; पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान (2005) 1 आरसीआर (सिविल) 54;

मनप्रीत सिंह बनाम गुरमैल सिंह (2016) 3 PLR 751; कपूर मेमोरियल अस्पताल बनाम बलबीर अग्रवाल (2015) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1790; भारपूर सिंह और एक अन्य बनाम लक्ष्मण सिंह 2017 (1) लॉ हेराल्ड 609–को संदर्भित किया गया।

संदर्भित मामलों

[1988] 1 पूरक। एससीआर 431	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 17 (i)**
[1967] 1 एससीआर 147	**अप्रयोज्य रखा गया**	**पैरा 17 (ई) (i)**
[1971] 2 एससीआर 711	**अप्रयोज्य रखा गया**	**पैरा 17 (ई) (ii)**
AIR (1988) 3 एससी423	**अप्रयोज्य रखा गया**	**पैरा 22 (1)**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2064/ 2022

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2017 के निर्णय और आदेश से 2017 की सीआर संख्या. 291 में। सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, सुश्री फिल्जा मूनिस, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायाधीश।

1. अनुमति दी गई।

2. पंजाब राज्य और उसके अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौति दिया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय

ने प्रतिवादी देव ब्रैट शर्मा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को मंजूरी दे दी है और निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 10.11.2016 के आदेश को खारिज करने के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने के लिए आगे बढ़ा है। उसने मुआवजे के रूप में 20 लाख का दावा किया।

<u>तथ्यः</u>

3. प्रत्यर्थी ने प्रतिवादियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी की स्थिति से इनकार करने के कारण कथित रूप से उसे हुए नुकसान के रूप में Rs.20 लाख की वसूली के लिए और वाद की स्थापना की तारीख से ब्याज @9% प्रति वर्ष के साथ स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र जारी न करने के कारण प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए एक मुकदमा दायर किया। पंजाब राज्य और पाँच अन्य (राज्य सरकार के अधिकारी) को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। यह मुकदमा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) जालंधर के न्यायालय में 2015 का मामला संख्या. 1661 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. संक्षेप में प्लैन्ट में दिए गए तथ्य इस प्रकार थेः

(i) कि प्रत्यर्थी जालंधर के एक प्रसिद्ध परिवार से है। वे डी. डी. पी. ओ. के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। सेवानिवृत्ति के बाद, वे एक वकील के रूप में काम कर रहे थे और जालंधर के निवासियों के बीच उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और जानकारी भी दी गई है।

(ii) कि प्रत्यर्थी को पंजाब सरकार द्वारा 'स्वतंत्रता सेनानी' के रूप में विधिवत मान्यता दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी नंबर. 3, निदेशक, लॉटरी, जो संबंधित समय में उपायुक्त, जालंधर के रूप में तैनात थे, ने उक्त स्थिति से इनकार कर दिया।

(iii) कि प्रत्यर्थी ने 'स्वतंत्रता सेनानी' का प्रमाण पत्र जारी करने के अपने अनुरोध की अस्वीकृति के विरुद्ध 2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या. 15316 और 2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या. 18535 सहित चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने 19.07.2013 को रिट याचिका संख्या 15316/2013 का निपटारा किया और 14.11.2014 को रिट याचिका संख्या 18535/2013 को अनुमति दी।

(iv) कि प्रतिवादी को कई बार चंडीगढ़ की यात्रा करनी पड़ी, वकीलों को संलग्न करना पड़ा, वृद्धावस्था में उक्त मुकदमे के लिए शुल्क और खर्च का भुगतान करना पड़ा, उसने प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के अवैध कृत्यों के कारण बहुत मानसिक तनाव और यातना का सामना किया था।

(v) कि प्रत्यर्थी का पोता उक्त प्रमाणपत्र जारी न करने के कारण प्रवेश प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए उसे तमिलनाडु राज्य के एक कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा।

(vi) कि प्रतिवादी ने मुकदमेबाजी पर लगभग Rs.2 लाख खर्च किए। उन्हें अपने पोते की शिक्षा के लिए तमिलनाडु की कई यात्राएं करनी पड़ीं, जिसे अन्यथा पंजाब में भर्ती कराया जा सकता था। इस प्रकार, उन्हें लगभग Rs.2 0 लाख का नुकसान हुआ, जिसमें मुकदमेबाजी के खर्च, मानसिक तनाव, उत्पीड़न और आगे के आकस्मिक नुकसान के लिए Rs.2 लाख शामिल थे।

5. तदनुसार, दिनांक 16.03.2015 को धारा 80 सीपीसी के तहत एक कानूनी नोटिस दिया गया था जिसमें प्रतिवादियों को उसे हुए नुकसान के रूप में Rs.20 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जब नोटिस के बावजूद, उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, तो निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया थाः "इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी नंबर. 3 द्वारा वादी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने से इनकार करने के कारण वादी को हुए नुकसान के रूप में Rs.20,00,000/– (केवल बीस लाख रुपये) की वसूली के लिए वादी का मुकदमा, जिसे संबंधित समय पर उपायुक्त, जालंधर के रूप में तैनात किया गया था और अपने पोते के उपयोग के लिए स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण प्रतिष्ठा की हानि, कृपया वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ न्याय और इक्विटी के हित में लागत के साथ फैसला किया जा सकता है। यह आगे प्रार्थना की जाती है कि वाद की स्थापना की तारीख से राशि की प्राप्ति तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ डिक्रीटल राशि की वसूली की अनुमति दी जा सकती है। आगे यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय और समता के हित में कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध भी दी जा सकती है।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि वाद की स्थापना की तारीख से राशि की प्राप्ति तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ डिक्रीटल राशि की वसूली की अनुमति दी जा सकती है।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय और समता के हित में कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध भी दी जा सकती है।

6. शिकायत के पैराग्राफ 11 के अनुसार, अदालत की फीस और अधिकार क्षेत्र दोनों के लिए मुकदमे का मूल्यांकन Rs.20 लाख से अधिक निर्धारित किया गया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर Rs.50/– की अदालत की फीस लगाई गई थी। न्यायालय द्वारा उचित समय पर हर्जाने के रूप में तय की जाने वाली राशि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का वचन भी दिया गया था। शिकायत का पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "11. यह कि न्यायालय फीस और अधिकारिता के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य Rs.20,00,000/– (केवल बीस लाख रुपये) से अधिक निर्धारित किया गया है, लेकिन माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा "अजीत सिंह कोहाड़ बनाम शशि कांत" (2014 का सी.आर नंबर. 5638,25 अगस्त, 2014 को निर्णय लिया गया) शीर्षक वाले मामले में निर्धारित नवीनतम कानून को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मानहानि का वाद, अदालत की फीस का Rs.50/– का चिपकाना स्वीकार्य है क्योंकि दी जाने

वाली राहत का सटीक मूल्य प्रारंभिक चरण में पता नहीं लगाया जा सकता है और तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने उस मामले में याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा नियत समय में हर्जाने के रूप में निर्णय की जाने वाली राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए छोड़ दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः –

"6. तदनुसार, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा हर्जाने के रूप में तय की जाने वाली राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन इस प्रारंभिक चरण में नहीं, इसके बावजूद कि याचिकाकर्ता ने हर्जाने की मात्रा के निर्णय के लिए पूरे मामले को अदालत पर छोड़ दिया है, उसने खुद हर्जाने की मात्रा Rs. 2.00 करोड़ दी है।"

इस प्रकार, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हालाँकि वादी ने स्वयं हर्जाने की राशि Rs.20,00,000/– दी है, लेकिन इस प्रारंभिक चरण में, इस बात के बावजूद कि वादी, हालांकि, हर्जाने की मात्रा के निर्णय के लिए इस माननीय न्यायालय पर पूरा मामला छोड़ रहा है, Rs.50/– की अस्थायी अदालत फीस लगा रहा है। हालाँकि, वादी इस माननीय न्यायालय द्वारा हर्जाने के रूप में तय की जाने वाली राशि पर अदालत की फीस का भुगतान करने का वचन देता है।

7. अपीलार्थियों ने लिखित बयान दायर किया जिसमें प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं, उनमें से एक यह थी कि वाद पर न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए ठीक से मुहर नहीं लगाई गई थी। प्रतिवादी द्वारा वाद को दोहराते हुए और प्रारंभिक आपत्ति का खंडन करते हुए एक प्रतिकृति दायर की गई थी।

8. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतान न करने के आधार पर आदेश VII नियम 11 (सी) के साथ धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे 2016 के आईए No.00001 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

9. निचली अदालत ने दिनांक 10.11.2016 के आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी को उसके द्वारा दावा की गई Rs.20 लाख की राशि पर न्यायालय शुल्क दाखिल करने के निर्देश के साथ उक्त आवेदन का निपटारा किया और कमी को पूरा करने के लिए लगभग 10 सप्ताह का समय दिया।

10. निचली अदालत ने सबसे पहले **मनप्रीत सिंह बनाम गुरमैल सिंह और अन्य** 2 के मामले में निर्णय पर विचार किया, जिस पर प्रत्यर्थी ने अपनी दलीलों के समर्थन में भरोसा किया और इसे इस मामले के तथ्यों पर प्रत्यर्थी के लिए न तो लागू होने और न ही सहायक होने के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसने न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 7 (i) में निहित प्रावधानों को लागू होने के रूप में ध्यान में रखा और तदनुसार, प्रत्यर्थी को हर्जाने के रूप में दावा की गई Rs.20 लाख की राशि पर न्यायालय–शुल्क को ठीक करने का निर्देश दिया।

11. उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 115 सीपीसी के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 2017 की सीआर संख्या. 291 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उच्च न्यायालय ने, दिनांक 11.08.2017 के निर्णय और आदेश द्वारा, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कई निर्णयों का निर्देश किया कि चूंकि नुकसान की वास्तविक और ऐड वालोरम का अभी भी ट्रायल कोर्टद्वारा आकलन और निर्धारण किया जाना था, इस प्रकार, ट्रायल कोर्टका रु. 20 लाख की राशि पर न्यायालय फीस का भुगतान करने का निर्देश विधि में टिकाऊ नहीं था।

12. उच्च न्यायालय आगे वाद और प्रतिकृति में अभिवचनों से इस प्रभाव से प्रभावित था कि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा हर्जाने के रूप में न्यायनिर्णित राशि पर न्यायालय शुल्क को नियत समय में चुकाने का वचन देता है।

13. उच्च न्यायालय ने, तदनुसार, ट्रायल कोर्टके दिनांक 10.11.2016 के आदेश को अपास्त कर दिया और आदेश VII नियम 11 सीपीसी के अधीन अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्टको वाद के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

14. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी जा रही है।

स्पेशल लीव पेटिशन के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा निचली अदालत द्वारा 28.02.2020 को खारिज कर दिया गया था। पीड़ित, प्रत्यर्थी ने सीपीसी की धारा 96 के तहत ई अपील को प्राथमिकता दी है, जो लंबित है।

<u>तर्कः</u>

15. हमने अपीलार्थी की ओर से सुना है–सुश्री उत्तरा बब्बर, अधिवक्ता और प्रतिवादी की ओर से–श्री अभिमन्यु तिवारी, अधिवक्ता।

16. मोटे तौर पर, अपीलार्थियों की ओर से पेश की गई दलीलें इस प्रकार हैंः

(क) कि उच्च न्यायालय ने ऐसे कई निर्णयों पर भरोसा करने में गलती की, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते थे;

(ख) **कि पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान** के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया निर्णय इस न्यायालय के समक्ष अपील में किया गया था और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विज्ञापन मूल्य न्यायालय फीस रुपये के दावे के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए एक मुकदमे में देय होगी। 2 करोड़;

(ग) कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 (i) के अधीन देय थी और अधिनियम की धारा 7 (iv) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इन फैसलों के आलेख में –**रणजीत कौर बनाम प अस इ बी, और मंजीत सिंह बनाम बेअंत शर्मा**।

(घ) कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी ने भी हर्जाने और मुआवजे का दावा किया था और एक बार उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी राहत नहीं दी गई है, तो उसी राहत के लिए मुकदमा स्वयं विचारणीय नहीं था और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग था और इस तरह के तुच्छ मुकदमों को शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।

17. वादी–प्रत्यर्थी की ओर से, विद्वान वकील श्री अभिमन्यु तिवारी ने उच्च न्यायालय के आदेश को न्यायसंगत, वैध और कानून के अनुसार उचित ठहराने की मांग की है। विद्वान वकील के अनुसारः

(ए) उच्च न्यायालय ने आदेश में निर्दिष्ट कई निर्णयों को देखते हुए आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया; (बी) चूंकि वाद की स्थापना के समय उचित मूल्यांकन का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए वाद में उल्लिखित अस्थायी राशि पर अतिरिक्त मूल्य अदालत शुल्क वसूलने का कोई औचित्य नहीं होगा;

(ग) उच्च न्यायालय ने विचारण के बाद वास्तविक मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए ट्रायल कोर्टके लिए इसे खुला छोड़ दिया था, जिस पर न्यायालय फीस वादी से वसूल की जाएगी जिसके लिए उसने एक वचन पत्र भी दिया था, और इसलिए, कोई त्रुटि उच्च न्यायालय द्वारा की गई नहीं कही जा सकती थी;

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई हैः

i) मेसर्स कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी बनाम विमला पन्नालाल।

ii) हेम राज बनाम हरचेत सिंह;

(iii) सुभाष चंदर गोयल बनाम हरविंद सागर;

(iv) पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान (इस अदालत द्वारा उलट)

(v) मनप्रीत सिंह बनाम गुरमैल सिंह;

(vi) डॉ. बी. ल. कपूर मेमोरियल अस्पताल बनाम बलबीर अग्रवाल

(ग) न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए वाद के उचित मूल्यांकन के संबंध में ट्रायल कोर्टनिर्गम संख्या. 3 के पूर्व तैयार किया गया था। निचली अदालत ने 28.02.2020 के फैसले और आदेश के माध्यम से हालांकि मुकदमे को खारिज कर दिया था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त मुद्दे को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर रखी गई थी और चूंकि कोई सबूत नहीं दिया गया था और न ही उक्त मुद्दे के समर्थन में कोई तर्क दिया गया था, इसलिए प्रतिवादियों–अपीलार्थियों के खिलाफ उसी का फैसला किया। दिनांक 28.02.2020 के निर्णय को अपीलार्थियों द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया है, यह सुझाव देगा

कि उन्होंने उक्त मुद्दे को छोड़ दिया था। उक्त निवेदन के समर्थन में कि एक परित्यक्त मुद्दे को उच्च मंच पर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित दो निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थीः –

(a) एम्. पी. श्रीवस्तव बनाम श्रीमती वीणा;

(ii) शानभागकन्नु भट्टर बनाम मुथु भट्टर।

(घ) यदि इस न्यायालय का विचार था कि वादी वाद में उल्लिखित राशि पर अधिमान न्यायालय फीस का भुगतान करने के लिए दायी था, तो वही केवल शैक्षणिक हित का होगा क्योंकि अपीलकर्ताओं ने दिनांक 28.02.2020 के निर्णय के विरुद्ध कोई प्रति आक्षेप या अपील दायर नहीं करके मूल्यांकन के संबंध में अपनी याचिका को छोड़ दिया था।

विश्लेषणः

18. अधिनियम का अध्याय III 'अन्य न्यायालयों और सार्वजनिक कार्यालयों में शुल्क' से संबंधित है। इसकी धारा 6 में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज किसी न्यायालय में दाखिल, प्रदर्शित या अभिलिखित नहीं किया जाएगा या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज के संबंध में, उक्त अनुसूचियों में से किसी द्वारा इंगित राशि से कम की राशि का शुल्क नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसे दस्तावेज के लिए उचित शुल्क का भुगतान किया जाता है। पहली अनुसूची में मूल्यांकन न्यायालय शुल्क की गणना की गई है जबकि दूसरी अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के वादपत्रों, दस्तावेजों और अभिवचनों पर देय निश्चित न्यायालय शुल्क की तालिका दी गई है।

19. इसकी धारा 7 में कुछ मुकदमों में देय शुल्क की गणना का प्रावधान है। उपखंड (i) धन वाद को संदर्भित करता है जिसमें क्षति, क्षतिपूर्ति, वार्षिकी या समय-समय पर देय अन्य राशियों के लिए वाद शामिल हैं जहां देय शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार होगा। फिर, अन्य उप-खंड हैं जो हाथ में मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हालांकि, उपखंड (iv) जिसमें और छह श्रेणियां हैं, अर्थात् वाद (क) बिना किसी बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए; (ख) संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए; (ग) एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए; (घ) एक निषेधाज्ञा के लिए; (ङ) सुगमता के लिए; और (च) खातों के लिए। इन श्रेणियों में आने वाले वाद पर शुल्क उस राशि के अनुसार देय होगा जिस पर मांगी गई राहत का मूल्यांकन वाद या अपील के ज्ञापन में किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है। अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः –

"6. मोफुसिल न्यायालयों या सार्वजनिक कार्यालयों में दाखिल किए गए दस्तावेजों आदि पर शुल्क। –

यहाँ पहले उल्लिखित न्यायालयों को छोड़कर, इस अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज किसी भी न्यायालय में दाखिल, प्रदर्शित या दर्ज

नहीं किया जाएगा, या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज के संबंध में उक्त अनुसूचियों में से किसी द्वारा इंगित राशि से कम की राशि का शुल्क ऐसे दस्तावेज के लिए उचित शुल्क के रूप में नहीं दिया जाएगा।

7. **कुछ मुकदमों में देय शुल्क की गणना।** – इसके बाद उल्लिखित मुकदमों में इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः पैसे के लिए।– (i) धन के वादों में (क्षति या मुआवजे के वाद, या रखरखाव के बकाया, वार्षिकी, या समय–समय पर देय अन्य राशियों सहित)– दावा की गई राशि के अनुसार।

(iv) वाद में–

बिना किसी बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए।

(क) चल संपत्ति के लिए जहां विषय–वस्तु का कोई बाजार मूल्य नहीं है, उदाहरण के लिए, स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के मामले में, संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए। –

(ख) किसी संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को इस आधार पर लागू करना कि वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है, एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए। –

(ग) निषेधाज्ञा के लिए एक घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करना, जहां परिणामी राहत का अनुरोध किया जाता है। –

(घ) सुगमता के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करना। –

(ङ) भूमि से उत्पन्न होने वाले कुछ लाभ के अधिकार के लिए (जिसके लिए इसमें अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है) और लेखाओं के लिए। –

(च) लेखाओं के लिए–उस राशि के अनुसार जिस पर मांगी गई राहत का मूल्यांकन वाद या अपील के ज्ञापन में किया गया है; ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है;

20. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तुत किया गया वाद धारा 7 के खंड (i) के अधीन आने वाले मुआवजे/हर्जाने के लिए धन का वाद था या अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी में आने वाला वाद था। राहत खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मुआवजे/हर्जाने के लिए धन का मुकदमा था और अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 (iv) की प्रयोज्यता के लिए कोई प्रश्न ही नहीं होगा। यह अधिनियम की धारा 7 (i) की प्रयोज्यता का एक सरल मामला होगा और विज्ञापन मूल्य न्यायालय–शुल्क का भुगतान अनुसूची 1 प्रविष्टि 1 के अनुसार करना होगा।

21.यह केवल अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है कि वादी को वाद में उस राशि को बताने की स्वतंत्रता है जिस पर राहत का मूल्य निर्धारित किया गया है और न्यायालय फीस उक्त राशि पर देय होगी। खंड (iv) के तहत छह श्रेणियों के विशिष्ट मुकदमों को दी गई स्वतंत्रता किसी अन्य खंड के तहत आने वाले मुकदमों के लिए उपलब्ध नहीं है, चाहे वह (i) (ii) (iii) आदि हो। एक बार जब विचाराधीन वाद अधिनियम की धारा 7 के खंड (i) के तहत आने वाले मुआवजे और हर्जाने के लिए एक धन वाद था, तो दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य न्यायालय–शुल्क देय होगा।

22. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख किया है:

1) मेसर्स कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी बनाम सी विमला पन्नाला;

2) हेम राज बनाम हरचेत सिंह;

3) सुभाष चंदर गोयल बनाम हरविंद सागर (ऊपर)

4) पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान (ऊपर)

5) मनप्रीत सिंह बनाम गुरमैल सिंह (ऊपर)

6) डॉ. बी ल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल बनाम बलबीर अग्रवाल (ऊपर)

7) एस अजित सिंह कोहर बनाम शशि कांत (ऊपर) और

8) भारपुर सिंह और एक अन्य बनाम लक्ष्मण सिंह, 2017 (1) लॉ हेराल्ड 609।

23. सुश्री कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय इसी न्यायालय का है और शेष निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हैं। मेसर्स कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में फैसले पर हेमराज (उपर्युक्त) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है, जिसका अन्य मामलों में अनुसरण किया गया है। कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी (उपरोक्त) के मामले में मुकदमा साझेदारी के विघटन और खातों के लिए दायर किया गया था। अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, इसका मूल्य रु। जबकि अदालत की फीस के प्रयोजनों के लिए राहत का मूल्य 25 लाख रुपये था। 500/– है। उन परिस्थितियों में, प्रतिवादी द्वारा आदेश VII नियम 11 (बी) सीपीसी के तहत इस आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि वाद का बहुत कम मूल्यांकन किया गया है।

24. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 (iv) के अधीन उपबंधों पर विचार किया और उसका विचार था कि धारा 7 (iv) के अंतर्गत आने वाले वाद ऐसी प्रकृति के थे कि मूल्यांकन का कोई मानक निर्धारित करना कठिन था और इसलिए यह स्वतंत्रता वादी को न्यायालय फीस के भुगतान के प्रयोजनों

के लिए मांगी गई राहत का एक अलग मूल्यांकन देने के लिए दी गई थी। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि लेखा के लिए एक वाद में, वादी के लिए राहत को सही ढंग से महत्व देना लगभग असंभव है। इस प्रकार मेसर्स कमर्शियल एविएशन (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है। लेखाओं और साझेदारी के विघटन के लिए मुकदमा अधिनियम की धारा 7 (iv) में निर्दिष्ट छह श्रेणियों में से एक में आएगा।

25. इस न्यायालय ने आगे **अस आर ऍम .ए आर .आर ऍम . रामनाथन चेट्टियर** के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय पर आधारित । रामनाथन चेट्टियार (उपर्युक्त) ने ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 245 में 1958 एस. सी. आर. 1024 के समतुल्य रिपोर्ट की और उक्त निर्णय के एक पैराग्राफ का हवाला दिया जो बताता है कि विधायिका ने वादी के लिए अधिनियम की धारा 7 (iv) के तहत आने वाले मुकदमे की छह श्रेणियों के लिए अपने दावे को महत्व देने के लिए इसे खुला क्यों छोड़ दिया। मूल कारण यह था कि चूंकि धारा 7 (iv) के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाद के लिए दावे का मूल्यांकन करना लगभग कठिन था, इसलिए न्यायालय फीस के भुगतान के प्रयोजनों के लिए मांगी गई राहत के लिए एक अलग मूल्यांकन दिया जा सकता था। इस प्रकार ऐसे सभी मुकदमों को खंड (iv) में रखा गया था जो वादी को मांगी गई राहत के लिए एक अलग मूल्यांकन देने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, अंततः यह वास्तविक राहत दी जाएगी जो भुगतान की जाने वाली अदालत की फीस को निर्धारित करेगी और कम अदालत की फीस का भुगतान किए जाने की स्थिति में वादी द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है।

26. **चेट्टियार** (उपर्युक्त) के मामले में दावा की गई राहत संयुक्त परिवार की संपत्तियों के विभाजन और प्रतिवादी द्वारा प्रबंधित संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में खातों के लिए भी थी। वादी ने खातों के लिए दावे का मूल्य रुपये आंका। 1, 000/– और रु। 100/– उक्त राशि पर। तथापि, अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए, अपीलार्थी ने रु। उसके हिस्से के मूल्य के रूप में 15 लाख। रजिस्ट्री ने अदालत की फीस और मूल्यांकन के भुगतान के संबंध में आपत्ति ली, और इसलिए, मामले को अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों, अधिकारियों और न्यायालय को भेजा गया। अंत में कई प्रकरणों के बाद, उपरोक्त निर्णय द्वारा मामले का निपटारा किया गया और वाद की स्थापना के समय विभिन्न मूल्यांकनों और न्यायालय फीस के भुगतान के संबंध में उक्त मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने धारा 7 की योजना पर चर्चा की और उस संदर्भ में इसे इस प्रकार समझायाः

"यदि धारा 7 की कई उप–धाराओं के अंतर्गत आने वाले मुकदमों में देय फीस की गणना के लिए निर्धारित योजना पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि, उप–धाराओं के अंतर्गत आने वाले मुकदमों के संबंध में. (iv) एक प्रस्थान किया गया है और वादी को अदालत फीस के प्रयोजनों के लिए अपने दावे का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रावधान का सैद्धांतिक आधार यह प्रतीत होता है कि जिन मामलों में वादी को अपने दावे को महत्व देने का विकल्प दिया जाता है, उनमें किसी भी सटीकता या निश्चितता के साथ दावे को महत्व देना वास्तव में मुश्किल है। उदाहरण के लिए विभाजन

के दावे को लें जहां वादी किसी भी संपत्ति में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को इस आधार पर लागू करना चाहता है कि वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है।

दावे का आधार यह है कि जिस संपत्ति के संबंध में एक हिस्से का दावा किया जाता है, वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है। दूसरे शब्दों में, यह वह संपत्ति है जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा होता है। वादी विभाजन के लिए दावा करके जो करने का इरादा रखता है, वह यह है कि वह अदालत से उसे पूरी संपत्ति में अपने अविभाजित हिस्से के बदले में अपने हिस्से के लिए अलग से और पूरी तरह से अपने खाते में कुछ निर्दिष्ट संपत्तियां देने के लिए कहे। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में वादी के कथित अविभाजित हिस्से को उसके अलग हिस्से में परिवर्तित करने का किसी भी सटीकता या निश्चितता के साथ रुपये के संदर्भ में आसानी से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि विधायिका ने अदालत की फीस के भुगतान के लिए अपने दावे को महत्व देने का विकल्प वादी पर छोड़ दिया है। इसका वास्तव में यह अर्थ है कि धारा 7 (iv) (ख) के अधीन आने वाले वादों में वादी द्वारा विभाजन के लिए अपने दावे के मूल्य के रूप में बताई गई राशि को न्यायालय द्वारा उक्त राहत के संबंध में देय न्यायालय फीस की संगणना करने में सामान्यतः स्वीकार किया जाना है। इस मामले की परिस्थितियों में यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या इस धारा के प्रावधानों के तहत, वादी को कोई भी मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार या विकल्प दिया गया है, जो भी उसकी राहत पर हो।"

27. हेम राज (उपर्युक्त) और आक्षेपित निर्णय में निर्दिष्ट अन्य सभी निर्णयों के मामले में, वाणिज्यिक विमानन (उपर्युक्त) और चेट्टियार (उपर्युक्त) के निर्णयों की टिप्पणियों पर भरोसा किया जाता है, जिसमें अधिनियम की धारा 7 (iv) द्वारा कवर की गई श्रेणियों और मुकदमों के लिए बनाए गए अंतर के विचलन की व्याख्या की गई है। उन्होंने गलती से अधिनियम की धारा 7 (i) में उल्लिखित धन मुकदमों की श्रेणी में इसे लागू करने के लिए आगे बढ़े हैं। न तो मेसर्स कमर्शियल एविएशन (उपर्युक्त) के मामले में और न ही चेट्टियार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कभी यह निर्धारित किया कि धारा 7 (iv) के अलावा खंड क द्वारा कवर किए गए मुकदमों के प्रयोजनों के लिए न्यायालय फीस और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए अलग मूल्यांकन किया जा सकता है। पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर, मेसर्स के मामले में निर्णयों की गलत व्याख्या। वाणिज्यिक विमानन (ऊपर) और चेट्टियार (ऊपर) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए थे, जिन पर विवादित फैसले में भरोसा किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मामला मांगी गई राहत के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन से संबंधित है।

28. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने मांगी गई राहत के लिए एक अलग मूल्यांकन नहीं दिया है, क्योंकि उसे वास्तव में जो दावा किया जा रहा था, उससे अलग मूल्यांकन देने की कोई स्वतंत्रता और अधिकार नहीं था। वास्तव में, वाद के पैरा 11 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्यांकन न्यायालय–फीस और अधिकारिता के लिए समान है।

29. अधिकार क्षेत्र और राहत के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन श्रेणी 7 के तहत आने वाले धन मुकदमों में समान होना चाहिए(i). यह केवल धारा 7 के खंड (iv) द्वारा कवर किए गए मुकदमों की श्रेणी में था कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों और मांगी गई राहत के लिए दो अलग–अलग मूल्यांकन हो सकते हैं।

30. सुश्री बब्बर ने अपनी दलीलों के समर्थन में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया, अर्थात् रंजीत कौर (ऊपर) (2006) और मंजीत सिंह (ऊपर)। (2012). मंजीत सिंह (ऊपर) ने रंजीत कौर (ऊपर) पर भरोसा किया था, जिसने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया था कि हर्जाने के मुकदमे में दावा किए गए हर्जाने की राशि पर अदालत की फीस का भुगतान किया जाएगा।

31. सुश्री बब्बर ने यह भी बताया कि रणजीत कौर (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय न केवल इस न्यायालय के बल्कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुद्दे पर मामले के कानूनों से संबंधित था। इसने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सुभाष चंद्र गोयल (ऊपर) जगदीप सिंह चौहान (ऊपर) और हेमराज (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णयों में वैधानिक प्रावधानों और अन्य बाध्यकारी उदाहरणों पर ध्यान नहीं दिया गया।

32. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में जगदीप सिंह चौहान (उपर्युक्त) जी के मामले में एक फैसले पर भी भरोसा किया था जो फिर से हर्जाने का मामला था। इसे राज्य द्वारा इस न्यायालय में लाया गया था। उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2012 के सिविल अपील संख्या. 3987,2006, पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह चौहान में पारित आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया है। उक्त आदेश की एक प्रति अपीलार्थियों के विद्वान वकील बब्बर द्वारा प्रदान की गई है।इस न्यायालय ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय–शुल्क देय है। न्यायालय वादी–प्रत्यर्थी के वकील को वाद के संशोधन के लिए या न्यायालय फीस को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता देने के लिए आगे बढ़ा। उक्त आदेश यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "वर्तमान अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीआर नंबर 2933/2004 में पारित दिनांक 14.10.2004 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने वादी (यहां प्रतिवादी) को अदालत की फीस के उद्देश्य से मुकदमे के अस्थायी मूल्यांकन पर अदालत की फीस का भुगतान करने की अनुमति दी है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य Rs.1,43,000/– आंका गया था। लगभग दो करोड़। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए एक मुकदमे में, विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क देय है। इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या. 1 के लिए विद्वत वकील केवल यह बता सकता है कि वह ट्रायल कोर्टके समक्ष संशोधन के लिए आवेदन दायर करेगा या तो अपने दावे को उस राशि तक सीमित करेगा जिस पर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है या दावे को उक्त राशि से अधिक बढ़ा सकता है और उसी पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करेगा। प्रत्यर्थी नं. 1 के ऐसे कथन को अभिलिखित करते हुए, हम विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हैं और उसे वाद

को क्रम में लाने के लिए अपेक्षित संशोधन फाइल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तदनुसार अपील का निपटान लागत के रूप में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

33. प्रत्यर्थी की ओर से, निचली अदालत द्वारा 28.02.2020 के फैसले और आदेश के माध्यम से मुद्दा संख्या. 3 के अंतिम निर्धारण के संबंध में एक प्रस्तुति दी गई थी, जहां निचली अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में मुद्दे का फैसला किया था।

34. उक्त निवेदन में दो कारणों से खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं हैः पहला, उक्त निर्णय वर्तमान अपील @ स्पेशल लीव पेटिशन दायर करने के बाद आया था क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.08.2017 है और दूसरा, निचली अदालत ने 28.02.2020 के फैसले के माध्यम से वाद को खारिज कर दिया था क्योंकि इस तरह राज्य को मुद्दा संख्या 3 पर निष्कर्ष को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय जब ट्रायल कोर्टने अंतिम निर्धारण के लिए वाद लिया, मुद्दा संख्या. 3 का विषय उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश द्वारा कवर किया गया था। इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा, इस कारण से कि यह मुद्दा पहले से ही 2018 से इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, मुकदमा खारिज होने से बहुत पहले राज्य के लिए उक्त निष्कर्ष को चुनौती देना आवश्यक नहीं था। ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा अपील @स्पेशल लीव पिटिशन के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा जो पहले से ही लंबित था। यह कहना कि वर्तमान अपील का निर्णय विशुद्ध रूप से अकादमिक होगा, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि हम M.P. के मामले में दो निर्णयों की कोई प्रयोज्यता नहीं पाते हैं। श्रीवस्तव (सुप्रा) और शानभागकन्नु भट्टर (सुप्रा) ने प्रत्यर्थी पर भरोसा किया। उपर्युक्त के अलावा, अपील की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के रूप में राज्य द्वारा मुद्दा संख्या. 3 पर निष्कर्ष पर भी सवाल उठाया जा सकता है।

35. हम सुश्री बब्बर द्वारा मुकदमे की स्थापना के बारे में उठाए गए अन्य प्रश्नों में नहीं जा रहे हैं जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और हम इसे अपीलीय न्यायालय के लिए खुला छोड़ते हैं कि वह उक्त मुद्दे पर निर्णय करे, यदि राज्य द्वारा उठाया जाता है।

36. इसलिए, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्टद्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की, जिसके द्वारा उसने वादी–प्रत्यर्थी को एक विशेष अवधि के भीतर न्यायालय फीस को ठीक करने के लिए समय दिया था, जिसमें विफल रहने पर वाद खारिज हो जाएगा।

37. ऊपर दर्ज सभी कारणों के लिए, अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2017 के विनिश्चय और आदेश को अपास्त कर दिया गया है और ट्रायल कोर्टके दिनांक 10.11.2016 के विनिश्चय को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। चूंकि मुकदमा स्वयं अंततः 28.02.2020 को खारिज कर दिया गया था, (i) लेकिन, अदालत की फीस फिर भी वादी–प्रतिवादी द्वारा मूल्यांकन पर देय थी, यानी रु। 20 लाख। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि वादी–प्रत्यर्थी आज से चार सप्ताह के भीतर ऐसी न्यायालय फीस का भुगतान करेगा; (ii) इसके अलावा, वादी–प्रत्यर्थी से अपील में उस मूल्य पर अदालत फीस का भुगतान करने की आवश्यकता होगी जो वह अपील में दावा की जाने वाली राहत पर

लगाएगा। अपीलीय न्यायालय वादी (जो उसमें अपीलार्थी है) को मूल्यांकन बताने और अपील में आगे बढ़ने से पहले उसे न्यायालय फीस का भुगतान करने के लिए उचित समय देने की अनुमति देगा।

38. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

39. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा समझा जाए।

अपील मंजूर किया गया।

कुमार रितेश